आदर्श उपविधियाँ

सहकारी कृषि समिति, लिमिटेड

निबन्धक

सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश

जनवरी, १९६६

सहकारी कृषि समिति लिमिटेड

की

आदर्श उपविधियाँ

१—नाम और मुख्यालय

इस समिति का नाम·············सहकारी कृषि समिति लि० होगा। इसका रजिस्ट्री किया हुआ पता तथा मुख्यालय·················,डाकखाना ················,ब्लाक····················,जिला····················होगा।

२—परिभाषाएँ

इन उपविधियों में जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात विपरीत न हो तब तक—

(क) "**अधिनियम**" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम १९६५ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ११, १९६६), तथा जैसा समय-समय पर संशोधित होगा, है।

(ख) "**समिति**" से तात्पर्य·························सहकारी कृषि समिति, लिमिटेड डाकखाना···········, ब्लाक···········, जिला··········· से है।

(ग) "**संचालक मण्डल**" का तात्पर्य समिति के संचालक मण्डल से है जिसे अधिनियम की धारा २९ के अधीनस्थ समिति के प्रबन्ध का कार्य सौंपा गया है।

(घ) "**बैंक**" से तात्पर्य उस जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक से है जिसकी समिति सदस्य है।

(ङ) "**सचिव**" का तात्पर्य समिति के सचिव से है जिसकी नियुक्ति अधिनियम की धारा ३१ के अन्तर्गत हुई हो।

(च) "**अधिकतम दायित्व**" का तात्पर्य उस अधिकतम राशि से है जो

समिति उधार ले सकती है। इसके अन्तर्गत अंश पूंजी सम्मिलित नहीं होगी।

(छ) "**स्वाधिकृत पूँजी**" (निजी पूंजी) का तात्पर्य समिति की संचित हानियों को, यदि कोई हो, निकाल देने के पश्चात् निम्नलिखित मदों के योग से है :—

(१) दत्त अंश पूंजी

(२) संचित रक्षित निधि,

(३) अधिनियम की धारा ५८ की उपधारा (१) के खण्ड (ख) में उल्लिखित सहकारी शिक्षानिधि को छोड़ कर समिति के लाभ से सृजित अन्य निधियाँ, और

(४) सरकार द्वारा दिये गए अनुदानों से स्थापित निधियाँ तथा विशेष रिजर्व्स।

(ज) "**निबन्धक**" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समितियाँ के निबन्धक से है, जैसा कि अधिनियम की धारा २ (द) में परिभाषित है।

(झ) "**नियम**" से तात्पर्य अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों से है।

(ञ) "**उपविधि**" का तात्पर्य समिति की तत्समय प्रचलित निबन्धित (रजिस्ट्रीकृत) उपविधि से है।

(ट) "**वर्ष**" का तात्पर्य सहकारी वर्ष से है जो १ जुलाई से आरम्भ होकर आगामी ३० जून को समाप्त होता है।

(ठ) "**सदस्य**" का तात्पर्य समिति के सदस्य से है।

(ड) "**प्रक्षेत्र**" का तात्पर्य समिति द्वारा चलाये जाने वाले प्रक्षेत्र (फार्म) से है।

३—कार्यक्षेत्र

इस समिति का कार्यक्षेत्र.. ग्राम सभा/ग्राम सभाओं तक सीमित होगा।

४—उद्देश्य

(अ) मुख्य :—

(१) संयुक्त कृषि और भूमि का संयुक्त प्रबन्ध और सदस्यों के उत्पादन के अन्य साधनों को एक में जुटाने की व्यवस्था करना तथा बढ़े हुये और लाभकारी उत्पादन के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक ढंगों से खेती करना,

(२) साग-भाजी और फल-फूल की खेती करना,

(३) दुग्धशाला (डेयरी), रेशम के कीड़े पालने अथवा पशुपालन, सुअर पालन, मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन आदि का काम करना तथा उनकी चिकित्सा का प्रबन्ध करना,

(४) सिंचाई का प्रबन्ध करना,

(५) कुटीर उद्योग तथा सहायक उद्योगों को चलाना और उनके लिए कच्चे माल जुटाना,

(६) उन्नतिशील बीज, खाद, रासायनिक खाद और सुधरे किस्म के औजार तथा अन्य साधनों के प्रयोग द्वारा कृषि में सुधार करना,

(७) आवश्यकता पड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को कायम और बेकार भूमि का सुधार करके उसे खेती योग्य बनाने का प्रबन्ध करना,

(८) समिति द्वारा उत्पादित माल को रखने के लिए गोदाम और उसकी समुचित बिक्री की व्यवस्था करना,

(९) समिति द्वारा धारित भूमि की चकबन्दी के लिए कार्यवाही करना,

(१०) उत्पादन वृद्धि, भूमि सुधार तथा ऐसे अन्य कार्यों हेतु जो समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हों, ऋण लेना जिसके लिए आवश्यकतानुसार भूमि बन्धक रखना अथवा अन्य प्रकार की जमानत देना,

(११) सदस्यों में मितव्ययिता, अपनी मदद आप करने और एक दूसरे की मदद करने की भावना को प्रोत्साहन देना तथा इसके लिए आवश्यक योजनायें बनाना और उन्हें कार्यान्वित करना,

(१२) ऊपर लिखे हुए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूंजी का प्रबन्ध करना, बैंक, राज्य सरकार, अन्य संस्थाओं एवं व्यक्तियों से ऋण तथा अमानतें प्राप्त करना।

(ब) गौण :—

(१) पुराने ऋणों को आपस में निपटाने तथा उनके भुगतान में सदस्यों की सहायता करना।

(२) सदस्यों की घरेलू तथा अन्य आवश्यकता की वस्तुओं को जुटाना,

(३) सदस्यों और उनके परिवार वालों के लिए चिकित्सा का प्रबन्ध करना और चिकित्सालय खोलना,

(४) सदस्यों के लिए रहने के मकान या जगह की व्यवस्था करना, सड़कें बनवाना, पीने के पानी, रोशनी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक भवन के निर्माण, यातायात के साधन में सुधार की व्यवस्था करना और ग्रामोन्नति की योजनाओं में अन्य तरीकों से सहायता करना,

(५) सदस्यों को सुविधा पहुँचाने और उनके रहन-सहन के स्तर को ऊँचा करने में अन्य कार्य करना,

(६) कृषि के आधुनिक और वैज्ञानिक विधियों के प्रचार के लिये प्रदर्शन और प्रयोग के प्रक्षेत्रों का चलाना,

(७) ऐसे अन्य कार्य करना या उनको प्रोत्साहित करना, जो उपरोक्त मुख्य तथा गौण उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों।

५—सदस्यता

अ–(क) नियम ३८ के अनुसार प्रत्येक प्रार्थना-पत्र समिति के सचिव को

दिया जायगा। सचिव का कर्तव्य होगा कि वह ऐसे प्रार्थना-पत्र को शीघ्रातिशीघ्र संचालक मण्डल के सम्मुख इस सम्बन्ध में निर्णय देने के लिये रखे।

(ख) संचालक मण्डल इस सम्बन्ध में सदस्यता के आवेदन पत्र प्राप्त होने के पन्द्रह दिन में आवश्यक निर्णय लेगा तथा निर्णय की तिथि से ७ दिन में प्रार्थी को निर्णय से सूचित करेगा जब तक कि इस अवधि में ऐसा करना अनिवारणीय परिस्थितियों में सम्भव न हो। यदि सदस्यता के आवेदन पत्र प्राप्त होने के साठ दिन के अन्दर कोई निर्णय नहीं लिया या सूचित किया गया तो यह समझा जायगा कि सम्बन्धित सदस्यता का आवेदन पत्र अस्वीकार हो गया है।

(ग) सदस्यता के अस्वीकार किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा ९८ की उपधारा १ (ग) के अन्तर्गत अपील की जा सकती है।

(घ) समिति का कोई सदस्य यदि समिति का ऋणी नहीं है या वह किसी ऐसे ऋण का जो अभी चुकता नहीं हुआ है, जामिन नहीं है, समिति को एक माह का नोटिस देकर समिति की सदस्यता से पृथक हो सकता है। नोटिस की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् उसके सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि उसने सदस्यता छोड़ दी है और अधिनियम की धारा २५ में निर्दिष्ट अवधि के व्यतीत हो जाने पर, वह अपने अँशों के सम्बन्ध में, समिति द्वारा उसे देय राशियों की वापसी का अधिकारी होगा।

ब–समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(१) व्यक्ति,

(२) राज्य सरकार/जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०.........।

स–(क) (१) कोई भी व्यक्ति सदस्य हो सकता है, यदि वह अपने पर प्रवृत्त विधि के अनुसार वयस्क हो तथा जो स्वस्थ चित्त

का हो और अपने पर प्रवृत्त विधि के अनुसार संविदा करने के लिए अनर्हित न हो, अनुन्मुक्त दिवालिया न हो,

(२) वह उस मंडल का जिसमें समिति बनाई गई हो निवासी या जो उसमें बसने का विचार करता हो या उसमें खेती करता हो या समिति में बहुधा काम करता हो, (किन्तु ये प्रतिबन्ध केवल नए सदस्यों पर ही लागू होंगे और उन व्यक्तियों पर नहीं जो दायादधिकार द्वारा सदस्य बने हों)

(३) कोई अवयस्क अथवा पागल जो भूमिधर या सीरदार के रूप में मंडल में भूमि धारण करता हो, यथास्थिति, अपने विधिक संरक्षक अथवा अभिभावक के माध्यम से समिति का सदस्य बनाया जा सकता है और ऐसी दशा में संरक्षक या अभिभावक, अवयस्क या पागल की ओर से इस प्रकार कार्य कर सकता है मानो वह स्वयं सदस्य हो,

(४) यदि कोई व्यक्ति इस शर्त पर सदस्य बनाया जाय कि वह अँशदान के रूप में समिति को भूमि देगा तो भूमिधर या सीरदार के रूप में मण्डल में उसके द्वारा धारित भूमि समिति के कब्जे, नियंत्रण और प्रबन्ध में संक्रमित हो जायगी और धारा ७९ के उपबन्ध उस पर प्रवृत्त होंगे।

(५) प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति समिति का सदस्य न होगा जब तक वह :—

(क) समिति द्वारा समय-समय पर तैयार की गई योजना और कार्यक्रम के अनुसार समिति की कृषि संबंधी क्रियाओं या अन्य अनुमोदित कार्यकलापों में भाग लेने के लिये सहमत न हो,

(ख) ऐसा भूमिधरी (लैंन्ड होल्डर) हो जो समिति द्वारा

संयुक्त रूप से खेती और संयुक्त रूप से प्रबन्ध करने के प्रयोजन से अपनी भूमि देने के लिये सहमत हो, या

(ग) भूमिहीन मजदूर हो और समिति की कृषि संबंधी क्रियाओं या अन्य अनुमोदित कार्यकलापों में भाग लेने के लिए सहमत हो, या

(घ) ऐसा व्यक्ति हो जो किसी कृषि-औद्योगिक व्यवसाय में लगा हो,

(ख) राज्य सरकार अथवा जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०……… ………समिति के सदस्य हो सकते हैं, यदि वे समिति के उतने मूल्य के अंश जो कि सचालक मण्डल तथा राज्य सरकार निश्चित करे, क्रय व उनका पूरा मूल्य चुकाने को तैयार हों।

द–प्रारम्भिक सदस्य वे होंगे जो समिति के निबन्धन के प्रार्थनापत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। ऐसे सदस्यों के अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य को ५० पैसे प्रवेश शुल्क देना होगा जिसे किसी भी दशा में सदस्य वापस पाने का अधिकारी न होगा।

इ–(१) सदस्य बनने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को एक घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि वह वर्तमान उपविधियों और उसकी सदस्यता के काल में उनमें नियमानुसार किये गये संशोधनों या परिवर्तनों से वाध्य रहेगा। ऐसे घोषणा-पत्र दो व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित होंगे। जो व्यक्ति समिति के निबन्धन के आवेदन पर हस्ताक्षर करने के कारण सदस्य बन चुका है उसे भी समिति के निबन्धन होने के बाद एक माह के अन्दर ऐसे घोषणा-पत्र पर निष्कासन के आतंक से हस्ताक्षर करने होंगे।

(२) कोई व्यक्ति सदस्यता के किन्हीं अधिकारों का उपयोग न कर सकेगा जब तक कि वह उपरोक्त घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर न कर देगा और जब तक कि उसने सदस्यता के सम्बन्ध में समिति को उस धनराशि का भुगतान न कर दिया हो अथवा

उसने समिति में ऐसा हित न अर्जित कर लिया हो जो नियमों तथा इन उपविधियों में निर्दिष्ट हो।

(३) प्रत्येक भूस्वामी सदस्य भर्ती होने के समय इस आशय के इकरारनामे पर भी हस्ताक्षर करेगा कि उसके द्वारा सम्मिलित की हुई भूमि समिति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक ऋण के लिए समिति द्वारा बंधक रखी जा सकती है।

(४) समिति किसी उम्मीदवार सदस्य की अन्तिम रूप से भर्ती के पूर्व उसे एक परीक्षण अवधि को व्यतीत करने के लिये आदेश दे सकती है जिसके बाद उसकी भर्ती या तो उम्मीदवारी के दिन से या परीक्षण काल बीतने के बाद हो सकती है।

फ–समिति की मांग पर हर सदस्य को अपनी पूँजी, ऋण अथवा अन्य जिम्मेदारियों की पूरी व सही सूचना देनी होगी।

ज–(अ)(क) कोई सदस्य समिति की सदस्यता से हटाया जा सकता है, यदि :–

(१) उसमें सदस्यता के लिए, अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों में अपेक्षित अर्हताएँ न रही हों, या कोई अयोग्यता अर्जित कर ली हो,

(२) वह अधिनियम, नियम और उपविधियों के उपबन्धों का उल्लंघन करके समिति का सदस्य बनाया गया हो,

(३) वह विकृत चित्त का हो जाये,

(४) उसकी सदस्यता नियम ८ के खण्ड (ख) के उपबन्धों से असंगत हो,

(ख) कोई सदस्य समिति की सदस्यता से निकाला जा सकता है :—

(१) यदि उसने समिति के किसी धन या अन्य सम्पत्ति

का दुर्विनियोग किया हो या समिति की किसी सम्पत्ति को हानि पहुंचाई हो और ऐसे जुर्म के लिए भारतीय दण्ड संहिता १८६० के अधीन दण्ड मिला हो :

प्रतिबन्ध यह है कि उपरोक्त उत्पन्न अनर्हता अपील में विमुक्ति और दोष सिद्ध की दशा में, यथा-स्थिति सजा पूरी कर लेने पर, तथा/या अर्थदण्ड भुगतान कर देने पर, कायम न रहेगी।

(२) यदि उसने उपविधियों का उल्लंघन करके समिति के हित को हानि पहुंचाई हो।

(३) यदि उपविधियों के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में किसी सदस्य द्वारा दी गई घोषणा गलत पाई जाए या किसी सारवान सूचना दबाने के कारण दोषपूर्ण हो, और ऐसी गलत या दोषपूर्ण घोषणा के कारण सदस्य को समिति से अनुचित लाभ हुआ हो, अथवा उससे समिति को आर्थिक या वित्तीय हानि अथवा अन्य कठनाइयां हुई हों।

(ग) प्रक्षेत्र (फार्म) का कोई सदस्य त्याग-पत्र देने, हटाये अथवा निकाल दिये जाने पर प्रक्षेत्र (फार्म) में सम्मिलित की हुई अपनी भूमि के तुल्य भूमि वापस पाने का अधिकारी होगा।

६—दायित्व

राज्य सरकार/बैंक को छोड़कर सदस्यों का दायित्व उनके अंश की नामी कीमत के पांच गुने तक सीमित रहेगा। राज्य सरकार/बैंक ...., का दायित्व उनके अंश की नामी कीमत तक ही सीमित रहेगा।

७—पूंजी

समिति की पूंजी निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक अथवा

समस्त साधनों द्वारा प्राप्त की जा सकती है :—

(क) अंश पूंजी,
(ख) ऋण और अमानतें,
(ग) अनुदान और दान,
(घ) रक्षित निधि, अन्य निधियाँ तथा लाभ।
(ङ) पशुधन, औजार, फार्म की इमारत आदि के रूप में सदस्यों के अंश व अमानत की पूंजी।

८—अंश, उनका मूल्य, दिया जाना (एलाटमेन्ट) और भुगतान

(अ) समिति की पूंजी निम्न प्रकार के अंश से बनेगी :—

(१) "क" श्रेणी के अंश-अनिशिचित संख्या में २० रु० प्रति अंश के हिसाब से, यह अंश व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा क्रय किये जायेंगे, प्रत्येक अंश पर १० रु०, अंश दिया जाने (एलाट करने) पर अदा करना होगा। शेष मूल्य दो छमाही बराबर-बराबर किश्तों में देना होगा, परन्तु सदस्य को अधिकार होगा कि यदि वह चाहे तो अंश का पूरा मूल्य एक साथ ही जमा कर दे।

(२) "ख" श्रेणी के अंश केवल राज्य सरकार द्वारा सीधे अथवा बैंक द्वारा लिये जा सकते हैं। ऐसे अंश उन शर्तों के अनुसार लिये जा सकेंगे जो कि समिति के संचाचक मंडल और राज्य सरकार अथवा बैंक के बीच तय हो तथा इन्हीं शर्तों के अनुसार इन अंशों की पूंजी लौटाई जायेगी।

३) प्रत्येक सदस्य कम से कम एक अंश अवश्य क्रय करेगा परन्तु कोई सदस्य कुल अंश की पूंजी के दसवें भाग अथवा ५ हजार रुपये के मूल्य से अधिक के अंश न क्रय करेगा न धारित करेगा।

(४) प्रार्थी या उसके प्रति हस्ताक्षरित सदस्यता के आवेदन पत्र के आधार पर अंश दिये जाते ही आवेदक समिति का

सदस्य मान लिया जायेगा।

(५) प्रत्येक व्यक्ति को जिसे कोई अंश दिया जायेगा बिना किसी व्यय के अंश का प्रमाण पत्र पाने का अधिकार होगा, उसमें दिए गए अंश की संख्या और चुकाए गए धन का उल्लेख होगा। अंश के प्रत्येक प्रमाण पत्र पर समिति के सचिव और संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत एक संचालक के हस्ताक्षर होंगे।

(६) यदि संचालक मण्डल को यह सन्तोष हो जाय कि अंश का प्रमाण पत्र फट गया है, नष्ट हो गया है या खो गया है तो वह एक रुपया लेकर और यदि चाहे तो क्षतिपूर्ति-पत्र (इन्डेम्निटी फार्म) लिखा कर प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति द्वारा उसका नवीनीकरण कर सकता है या दूसरे प्रमाण पत्र द्वारा पुनः स्थापन कर सकता है।

(७) किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य से मिलने वाले ऋण के सम्बन्ध में उक्त सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के अंश या पूंजी पर, उसकी अमानतों तथा उसके मिलने वाले लाभांश या अधिलाभांश (बोनस) या लाभ पर समिति का प्रथम प्रभार रहेगा। ऐसे सदस्य या भूतपूर्व सदस्य को १५ दिन का नोटिस देकर उसके खाते में जमा अथवा उसको मिलने वाले देय धनराशि समिति किसी भी ऋण के भुगतान में मुजरा कर सकती है।

(८) किसी अंश पर उस व्यक्ति के जिसके नाम सदस्य के रूप में वह अंश पंजीबद्ध है, सर्वाधिकार के अतिरिक्त किसी हित तथा अन्य किसी प्रकार के अधिकार को मान्यता देने के लिए समिति बाध्य न होगी।

(९) यदि कोई सदस्य निर्धारित अवधि के भीतर अंश की देय (वाजिब) किश्त की धनराशि नहीं चुकाता तो उसे बकाया पर संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित दर से जो ९

प्रतिशत से अधिक न होगी, ब्याज देना होगा।

(१०) किसी सदस्य से उसके अंश की आंशिक वसूली अथवा उगाही में समिति द्वारा प्रदर्शित ढील के कारण आगे दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत अंश की जब्ती को रोका नहीं जा सकता।

अंश की जब्ती

(१) यदि कोई सदस्य भुगतान के लिए निधारित अन्तिम दिन तक किसी अंश के सम्बन्ध में देय कोई धन नहीं चुकाता तो उसके बाद संचालक मण्डल किसी भी समय ऐसे सदस्य को नोटिस देकर आदेश दे सकता है कि वह निर्धारित स्थान और समय पर उक्त देय धन ब्याज के सहित चुका दे। नोटिस में यह भी उल्लेख होगा कि निर्धारित समय और स्थान पर इसका भुगतान न होने पर वह अंश जिन पर उक्त धन देय है, जमा किये गये सारे धन सहित जब्त किये जा सकते हैं और उन अंशों से सम्बन्धित सदस्यता के अधिकार समाप्त हो जावेंगे। इस भांति जब्त किये गये अंश की जब्ती की नोटिस की तिथि से ३ मास के अन्दर तक सारा बकाया और प्रति अंश १ रुपया नवीनीकरण शुल्क देकर पुन: जारी कराये जा सकते हैं। नवीनीकरण के लिए उपरोक्त ३ मास की उल्लिखित अवधि की समाप्ति के उपरान्त इस भाँति जब्त किया गया धन रक्षित निधि में जमा कर दिया जायगा।

(२) सचिव और संचालक मण्डल के एक सदस्य से हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण पत्र कि अंशों की जब्ती संचालक मण्डल के प्रस्ताव द्वारा हुई है, उसमें निर्दिष्ट तथ्य का अंतिम प्रमाण होगा।

(३) संचालक मण्डल द्वारा जब्त घोषित प्रत्येक अंश उसके बाद समिति की सम्पत्ति होगा और उसके बाद किसी भी समय

उन शर्तों और ढंगों से जिन्हें संचालक मण्डल उचित समझे उसकी बिक्री अथवा पुनर्निगमन या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण किया जा सकता है।

(४) जिस सदस्य का अंश जब्त किया गया है, वह जब्ती पर ध्यान दिये बिना जब्ती के समय अंश के आधार पर बाकी सारे धन तथा अंशों की जब्ती के सम्बन्ध में समिति द्वारा किये गये समस्त व्ययों के भुगतान का उत्तरदायी होगा।

(५) जब तक जब्त किये गये अंश उपरोक्त विधि में पुन: बिक्री या वितरित या अन्य ढंग से निस्तारण नहीं किये जाते तब तक संचालक मण्डल की स्वेच्छा और प्रस्ताव से जब्ती के समय समिति को प्राप्त सारी धनराशि निर्धारित समय के अन्दर चुकाने पर रियायत के तौर पर जब्ती से उन्मुक्ति दी जा सकती।

(ब) सदस्य को उत्तराधिकारी नामांकित करने का अधिकार :

(१)(क) समिति का कोई सदस्य ऐसे किसी व्यक्ति और व्यक्तियों के नाम निर्दिष्ट कर सकता है जिसे उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में, समिति को पूँजी में उसका अंश या हित संक्रमित किया जायगा अथवा उसके मूल्य का या समिति द्वारा उसे देय किसी अन्य धनराशि का भुगतान किया जायगा। नामांकन न किये जाने की दशा में सदस्य का अंश या समिति में अन्य हित ऐसे व्यक्ति की चुका दिये जायेंगे या हस्तांतरित कर दिये जायेंगे जिसे संचालक मण्डल नियमों के अधीन उसका उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई हस्तांतरण तब तक नहीं होगा जब तक की नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि यथास्थिति, समिति का सदस्य न बना लिया जाय।

(ख) जब कोई सदस्य अपने द्वारा धृत अंशों के सम्बन्ध में एक से अधिक व्यक्तियों के नाम निर्दिष्ट करे तो वह जहाँ तक व्यवहार हो, सम्पूर्ण अंशों के रूप के प्रत्येक नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को दी जाने वाली या संक्रमित की जाने वाली धनराशि को उल्लिखित करेगा।

(२) समिति द्वारा किया गया हर नामांकन दो साक्षियों द्वारा प्रमाणित होगा और सदस्य के जीवन काल में समिति को सौंप दिया जाना चाहिए। सदस्य द्वारा किया गया नामांकन इसी भांति अन्य नामांकन करके रद्द या परिवर्तित किया जा सकता है।

(३) अंश के स्पस्ट कानूनी स्वत्वाधिकारी द्वारा किये गये या होने वाले हस्तांतरण को पंजीबद्ध करने या किसी हस्तांतरण को क्रियात्मक रूप देने या ऐसा ही कार्य करने के परिणामस्वरूप समिति पर उन व्यक्तियों के प्रति जो अंश में किसी सामान्य अधिकार अथवा हित का दावा करते हों कोई उत्तरदायित्व न होगा। भले ही ऐसे अंश पर समिति को इस भांति के अधिकार व हित का दावा करने वाले के द्वारा नोटिस मिल चुकी है।

९—पूंजी का लगाया जाना

समिति अपनी पूँजी अधिनियम की धारा ५९ के अनुसार लगायेगी या जमा करेगी।

१०—उत्पादन के साधनों को एकत्रित तथा प्रबन्ध करना

(क) सदस्यों की कुल भूमि जो उसके पास गांव में है, संयुक्त प्रबन्ध व खेती के लिये एक में मिलायी जायगी। समिति के नाम दर्ज अथवा उसे सामूहिक रूप से उपलब्ध कुल भूमि पर भी संयुक्त प्रबन्ध व संयुक्त खेती की जायगी।

(ख) संचालक मण्डल लाभांश (डिविडेन्ड) का हिसाब लगाने के लिये सामान्य निकाय द्वारा निर्धारित और निबन्धक द्वारा स्वीकृत

सिद्धान्तों के आधार पर उर्वरा शक्ति, लगान अथवा मालगुजारी, बाजारू कीमत तथा प्रक्षेत्र (फार्म) के लिये उसकी उपयोगिता का विचार करते हुए, सदस्यों द्वारा सम्मिलित अथवा दी गई भूमि की कीमत निश्चित कर सकती है।

(ग) समिति राज्य/किन्द्रीय सरकार अथवा दूसरे जरियों से भूमि लीज या खरीद द्वारा अथवा अन्य प्रकार से ले सकती है।

(घ) किसी सदस्य की अपनी या उसकी दी गई जमीन का टुकड़ा या टुकड़ों पर मिलाये जाने के बाद भी उसका स्वामित्व बना रहेगा प्रतिबंध यह है कि इस भांति मिलाई हुई भूमि, समिति में कम से पाँच वर्ष के लिये सम्मिलित रहेगी। किसी सदस्य का उत्तराधिकारी/नामांकित सदस्य/मृतक/छोड़े हुए सदस्य द्वारा निश्चित अवधि तक यह भूमि समिति में सम्मिलित रखेगा।

(ङ) समिति सदस्यों की ओर से समस्त एकत्रित भूमि का लगान अथवा मालगुजारी या तो मालिक सदस्य को भूमि के लाभ से अथवा कार्य-संचालन व्यय से, जैसा सामान्य निकाय तय करे, अदा करेगी। सामान्य निकाय द्वारा निश्चित किये जाने पर अगर भूस्वामी सदस्यों का भूमि प्रतिफल (रिटर्न आन लैंड) दिया जाता है तो यह प्रतिफल भूमि सुधार नियम के अंतर्गत निश्चित रेन्ट से अधिक न होगा।

(च) समिति को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ऋण लेने के लिये मिलाई हुई भूमि या उसका कोई हिस्सा गिरवी रखने का अधिकार होगा।

(छ) नीचे दिये गये उत्पादन के साधनों को भी एक में मिलाया और प्रबन्ध किया जा सकता है :—

(१) खेत में काम करने वाले तथा दुधारू पशु,
(२) मुर्गी,
(३) कृषि औजार तथा सज्जा,

(४) फार्म की इमारते और मकान,

(५) बीज, चारा और खाद।

(ज) संचालक मण्डल इस प्रकार मिलाये गये उत्पादन के साधनों की कीमत बाजारू कीमत के आधार पर निश्चित करेगी। प्रत्येक सदस्य ने जिस मालियत के साधन इस प्रकार इकजाई में मिलाये होंगे, समिति ठीक उसी रकम को उसके खाते में जमा करेगी। समिति उसे बतौर अंश, अमानत या कर्ज के समझेगी और उस पर संचालक मण्डल द्वारा निश्चित दर से ब्याज देगी, जो ६ प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक न होगा। यह कर्ज जब कभी समिति की आर्थिक स्थिति चुकाने योग्य हो, चुकाया जा सकता है।

(झ) सदस्यों के श्रम (शारीरिक काम) को भी एक में मिलाया जायगा, समित उसका उचित मूल्य और अधिक उपयोग करने का प्रयत्न करेगी। सदस्यों के श्रम का उपयोग बाहरी कामों के लिये भी किया जा सकता है और उससे होने वाली आमदनी या तो श्रम करने वाले सदस्य को स्वयं ले लेने की आज्ञा मिल सकती है या उसे समिति में जमा किया जा सकता है, और सम्बन्धित सदस्य को उसी तरह प्रक्षेत्र (फार्म) के या समिति के अन्य कामों के लिए निश्चित मजदूरी दी जा सकती है।

(ञ) समिति, सभी सदस्यों और गैर सदस्यों तथा विभिन्न किस्मों के कार्यों के लिए मजदूरी (स्टैंडर्ड वेज) कायम करेगी और उस क्षेत्र में प्रचलित मजदूरी की दर, भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की कार्य-शक्ति और काम के घंटों को ध्यान में रख कर समय-समय पर उसे निश्चित करेगी।

(ट) समिति सदस्यों में काम बांटेगी।

(ठ) समिति में काम करने वालों की अधिकता होने पर संचालक मण्डल सभी सदस्यों में काम उचित और न्यायपूर्ण ढंग से बांटेगी।

(ड) यदि फार्म पर काम करते समय कोई सदस्य किसी दुर्घटना में पड़ जाता है और यदि इसमें सामान्य निकाय की राय में वह दुर्घटना उसकी लापरवाही के कारण नहीं हुई है तो समिति उसे उस अवधि का जिससे कि वह काम करने में लाचार रहता है पूरी मजदूरी या आर्थिक सहायता (कम्पेनसेशन) देगी।

(ढ) समिति किसी सदस्य को जो बीमार हो और काम न कर सकता हो, सहकारी वर्ष में अधिक से अधिक १ मास का गुजारे का भत्ता दे सकती है, बशर्ते कि वह कथित वर्ष में कम से कम ६ मास काम के लिये तैयार रहा हो और रबी और खरीफ दोनों ही फसलों में बोनी और कटनी के मौकों पर अनुपस्थित न रहा हो।

(ण) उक्त उपविधि की धारायें तभी लागू होंगी जब निबन्धक की राय में समिति की आर्थिक स्थिति उन्हें लागू करने योग्य हो।

(त) समिति उस गैर-सदस्य को जिसने मियाद से अधिक समिति में काम किया हो, श्रम का बोनस अथवा सदस्य बनाने अथवा दोनों मामलों पर विचार कर सकती है।

१०—उधार लेना

(क) नियम १७८ के अधीन समिति का अधिकतम दायित्व वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में, बैंक/उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड, लखनऊ, जिससे वह सम्बद्ध और उसकी ऋणी होगी, उसके अनुमोदन से निश्चित की जायगी। यदि समिति किसी ऐसे बैंक से सम्बद्ध अथवा ऋणी नहीं है, तो इसका अधिकतम दायित्व निबन्धक के अनुमोदन से निश्चित होगा, परन्तु निबन्धक की अनुमति के बिना समिति का अधिकतम दायित्व उसकी निजी पूंजी के दस गुने से अधिक न होगा।

(ख) उपरोक्त ढंग से निश्चित अधिकतम दायित्व के अभ्यधीन समिति उस सीमा तक और उन शर्तों पर जिन्हें संचालक मण्डल उचित समझे, सदस्यों और गैर सदस्यों से अमानतें लेकर धन एकत्र कर

सकती है। समिति प्रामिजरी नोट जारी करके अथवा भूमि, भवन या समिति की अन्य सम्पत्ति बन्धक रखकर अथवा ऐसे अन्य साधन से भी जिसे संचालक मण्डल उपयोगी समझे, धन एकत्र कर सकती है।

११—संगठन और प्रबन्ध

समिति के कार्यों का प्रबन्ध निम्नलिखित संस्थाओं और अधिकारियों के हाथ में होगा :—

(क) सामान्य निकाय,

(ख) संचालक मण्डल,

(ग) सभापति/उपसभापति,

(घ) सचिव,

(ङ) फार्म सुपरिटेन्डेन्ट या मैनेजर।

(क) **सामान्य निकाय**—समिति की सामान्य निकाय में निम्नलिखित होंगे :—

(अ) अधिनियम की धारा ३४ के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट संचालक, यदि कोई हैं।

(ब) समस्त साधारण सदस्य यदि उनकी संख्या २५० से अधिक नहीं है। यदि साधारण सदस्यों की संख्या २५० से अधिक है है तो प्रत्येक सदस्य पर एक प्रतिनिधि। समिति का संचालक मण्डल निबन्धक के अनुमोदन से प्रत्येक १० सदस्यों के निर्वाचन समूह बनायेंगे। विशेष परिस्थितियों में इस संख्या को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। सम्बन्धित सदस्य अपने समूह की ओर से समिति की सामान्य निकाय में उपस्थित होने के लिये अपने में से एक प्रतिनिधि चुनेंगे। ऐसा चुनाव निबन्धक द्वारा निर्धारित नियम और विधि के अनुसार होंगे। इन प्रतिनिधियों का चुनाव वार्षिक सामान्य

निकाय की बैठक के नोटिस जारी करने के पन्द्रह दिन पूर्व तक करा लिया जायगा। नये प्रतिनिधियों के निर्वाचन के पश्चात् पुराने प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व समाप्त हो जायगा।

सामान्य बैठक

सामान्य निकाय की बैठक निम्न दो प्रकार की होंगी :—

(क) वार्षिक और (ख) अन्य सामान्य बैठक।

(क) वार्षिक सामान्य बैठक

अ—समिति प्रत्येक सहकारी वर्ष में, वार्षिक विवरणियाँ प्रस्तुत किये जाने और अधिनियम की धारा ६४ के अन्तर्गत लेखों का परीक्षण हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र ३० नवम्बर तक चाहे लेखा परीक्षण किया गया हो या नहीं, अपनी वार्षिक सामान्य बैठक करेगी। प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक ३० नवम्बर के पश्चात् भी समिति को अपनी वार्षिक सामान्य बैठक करने की अनुमति दे सकते हैं और उस दशा में वार्षिक सामान्य बैठक उस प्रकार बढ़ाई गई अवधि के भीतर होगी। वार्षिक सामान्य बैठक में निम्नलिखित कार्य होंगे :—

ब—(१) नियमों और समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन, यदि कोई होना हो, तथा ऐसे चुने गये संचालकों में से सभापति और उप-सभापति का चुनाव करना।

(२) संचालक मण्डल द्वारा आगामी सहकारी वर्ष के लिए तैयार किये गये समिति के कार्यकलाप के कार्यक्रम का अनुमोदन।

(३) गत सहकारी वर्ष के रोकड़ पत्र (बैलेन्स शीट) और वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार, सिवाय उस दशा के जबकि नियमों में निर्दिष्ट अवधि के भीतर लेखा परीक्षा पूरी न हुई हो।

(४) नियम ९२ के अनुसार गत सहकारी वर्ष के लेखा परीक्षा

प्रमाणपत्र और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर विचार, सिवाय उस दशा के जब नियत अवधि के भीतर लेखा परीक्षा पूरी न हुई हो।

(५) आगामी सहकारी वर्ष के लिये समिति का अधिकतम दायित्व निश्चित करना।

(६) शुद्ध लाभ का निस्तारण।

(७) आगामी सहकारी वर्ष के गजट पर विचार।

(८) फार्म या समिति के विभिन्न कामों की देखभाल करने के लिए व्यक्तिगत सदस्यों को नियुक्त करना या कम से कम तीन सदस्यों की सब-कमेटी चुनना।

(९) फार्म का काम चलाने की योजना तैयार करना या उस पर मंजूरी देना।

(१०) समिति द्वारा घरेलू उद्योग या अन्य कामों की योजनाओं पर विचार करना और उन पर मंजूरी देना।

(११) कमेटी के पथ-प्रदर्शन के लिये भूमि और उत्पादन के अन्य साधन जैसे बैल, औजार, फार्म की इमारतों आदि की कीमत आंकने के लिए सिद्धान्त निश्चित करना।

(१२) फार्म में कब कौन-सी फसल बोई जाय इसकी योजना बनाना या उस पर मंजूरी देना।

(१३) ऐसे किसी अन्य विषय पर विचार जो उपविधियों के अनुसार उसके समक्ष लाया जाय।

स-अधिनियम की धारा ३१ में किसी बात के होते हुये भी, सचिव का और सचिव की अनुपस्थिति में संचालक मण्डल के सभापति का यह कर्तव्य होगा कि वह उपरोक्त उपधारा "अ" के उपबन्धों के अनुसार

वार्षिक सामान्य बैठक बुलाये और ऐसा न करने पर निबन्धक या उसके द्वारा तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत व्यक्ति वार्षिक सामान्य बैठक बुला सकता है।

यदि समिति की वार्षिक सामान्य बैठक लेखों के परीक्षण होने के पूर्व किसी वर्ष में नियम ९१ के अधीन हो, तब उपरोक्त उपविधि के उपधारा (३), (४) और (५) में उल्लिखित विषयों पर समिति की अगली वार्षिक सामान्य बैठक में विचार किया जायगा।

(ख) अन्य सामान्य बैठकें

(१) संचालक मण्डल समिति के कार्य सम्पादन के लिये जब-जब आवश्यक हो, समिति के सामान्य निकाय की सामान्य बैठक (जिसे साधारण सामान्य बैठक कहा जायेगा) बुला सकता है।

(२) संचालक मण्डल निबन्धक अथवा समिति के सामान्य निकाय के कम से कम १/५ सदस्यों का लिखित अधियाचन प्राप्त हो जाने के पश्चात् एक मास के भीतर समिति की सामान्य निकाय की सामान्य बैठक (जिसे असाधारण सामान्य बैठक कहा जायगा) बुलायेगा। संचालक मण्डल के उपर्युक्त बैठक न बुलाने पर निबन्धक अथवा उसके द्वारा तदर्थ अधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान तथा समय पर जिसका वह निर्देश दे, साधारण बैठक बुलाने का अधिकार होगा।

(३) सदस्यों द्वारा असाधारण सामान्य निकाय की बैठक के मांग पत्र पर प्रस्तावित बैठक का उद्देश्य लिखा होना चाहिए और उसे समिति के पंजीबद्ध कार्यालय में दे देना चाहिए।

(४) सामान्य निकाय की बैठक के लिये कम से कम १५ दिन की सूचना आवश्यक होगी। आगे बताई गई स्थितियों के अतिरिक्त सभा की नोटिस, दिन, स्थान और समय तथा उसमें की जाने वाली कार्यवाही का विवरण देते हुये हर सदस्य को सूचना निम्नलिखित किसी भी प्रकार से दी जायगी :—

(क) समिति के कार्यक्षेत्र में ढिंढोरा पिटाकर,

(ख) समिति के कार्यक्षेत्र के किसी प्रमुख स्थान तथा समिति के कार्यालय पर सूचना की नोटिस चिपकाकर,

(ग) नोटिस की किताब को सदस्यों के पास भेज कर उनके हस्ताक्षर कराकर या नोटिसों को सार्टिफिकेट आफ पोस्टिंग से सदस्यों को डाक द्वारा भेजकर,

यदि नोटिस द्वारा सूचना देने में कोई त्रुटि रह जाय तो सामान्य निकाय की कार्यवाही अवैधानिक न होगी।

(५) सदस्यों की मांग पर हुई सामान्य निकाय की बैठक आम सभा में बैठक की सूचना में निर्दिष्ट विषय के अतिरिक्त अन्य विषय पर विचार न होगा। अन्य सभाओं में सभापति उन विषयों पर भी विचार की अनुमति दे सकता है जो विचाराधीन विषयों में सम्मिलित नहीं हैं।

बैठक के लिये गणपूर्ति

(क) सामान्य निकाय के सदस्यों का १/५ अथवा पचास सदस्य में जो भी कम हो, सामान्य बैठक की गणपूर्ति (कोरम) होगी।

(ख) यदि बैठक के लिए निश्चित समय से आधे घंटे के भीतर गणपूर्ति पूरी न हो तो बैठक उस तिथि तथा समय के लिए स्थगित समझी जायगी जैसा उपस्थिति सदस्य निश्चित करें। ऐसी स्थगित बैठक के लिये गणपूर्ति, सामान्य निकाय के सदस्यों के १/१० या पचीस सदस्यों में जो कम हो, से होगी।

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि बैठक सदस्यों या प्रतिनिधियों के अधियाचन पर बुलाई गई हो तो वह निश्चित समय से एक घंटे के भीतर गणपूर्ति के अभाव में विघटित हो जायगी।

बैठक का सभापतित्व

प्रत्येक बैठक का सभापतित्व सभापति करेंगे। उसकी अनुपस्थिति

में उपसभापति सभापतित्व करेंगे। दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक को बैठक का सभापति के लिये चुनेंगे। प्रतिबन्ध यह है कि सभापति या उपसभापति सहित कोई भी व्यक्ति ऐसी बैठक का सभापतित्व उस दशा में नहीं करेंगे, जब ऐसे विषयों पर चर्चा की जानी हो जिसमें उनका व्यक्तिगत हित हो।

बैठकों में विषयों का निस्तारण

(क) किसी बैठक के समक्ष सभी विषय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प के रूप में निश्चित किये जायेंगे : प्रतिबन्ध यह है कि संचालक मण्डल का कोई सदस्य, किसी बैठक में किसी ऐसे विषय पर मतदान न करेगा जिसमें उसका व्यक्तिगत हित हो, जब तक कि अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन कोई विशिष्ट बहुमत अपेक्षित न हो किसी संकल्प के पक्ष या विपक्ष में मतों के बराबर-बराबर होने की दशा में बैठक के सभापति को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(ख) जब किसी बैठक में उपस्थित सदस्यों में किसी संकल्प पर मतभेद हो तो कोई सदस्य मतदान की मांग कर सकता है। जब मतदान की मांग की जाय तो सभापति संकल्प पर मतदान करा सकता है।

(ग) प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक प्रतिनिधि तथा प्रत्येक नाम निर्दिष्ट व्यक्ति समिति के प्रशासन में स्वयं मतदान करेगा और किसी भी सदस्य, प्रतिनिधि अथवा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को दूसरे के माध्यम से मतदान करने की अनुज्ञा नहीं दी जायगी।

(ख) संचालक मण्डल

समिति का प्रबन्ध एक संचालक मण्डल में निहित होगा। संचालक मण्डल में निम्नलिखित होंगे :—

(१) अधिनियम की धारा ३४ के अधीन राज्य सरकार के दो संचालक, यदि कोई हों।

(२) साधारण सदस्यों के सात/नौ संचालक, जिनमें कम से कम एक उन सदस्यों में से होगा जो कि निबन्धक द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार 'दुर्बल वर्ग' (वीकर सेक्शन) की श्रेणी में आते हों।

संचालक चुने जाने अथवा बने रहने की अनर्हता

कोई व्यक्ति समिति के संचालक मण्डल का न तो सदस्य चुना जायगा न बना रहेगा यदि :—

१–(क) उसकी आयु २१ वर्ष से कम हो,

(ख) वह दिवालिया घोषित हो,

(ग) वह विकृत चित्त, बहरा और गूंगा या अन्धा हो अथवा कोढ़ से पीड़ित हो,

(घ) उसे निबन्धक की राय में नैतिक पतन सम्बन्धित अपराध के के लिए दण्ड दिया गया है और ऐसा दण्ड अपील में रद्द न की गई हो,

(ङ) वह, या निबन्धक की राय में, उसके परिवार का कोई सदस्य निबन्धक की अनुज्ञा के बिना, समिति के कार्यक्षेत्र के भीतर, उसी प्रकार का कारोबार करना शुरू करे या करता हो जैसा समिति करती हो।

(च) वह अधिनियम, या नियमों अथवा उपविधियों के प्रतिकूल समिति के साथ या उसकी ओर से कोई व्यवहार या संविदा करे।

(छ) वह समिति के अन्तर्गत कोई लाभ का पद स्वीकार करे या धारण करता हो।

स्पष्टीकरण—समिति का कोई सदस्य समिति में केवल शारीरिक काम के लिये मजदूरी प्राप्त करने पर समिति के लाभ पद पर न समझा जायेगा।

(ज) वह समिति के सामान्य निकाय का सदस्य न हो।

(झ) वह अधिनियम या नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया हो, जब तक कि दोष सिद्धि के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि व्यतीत न हो गई हो।

(ञ) वह ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध किसी सहकारी समिति ने धारा ९१ के अधीन कोई आदेश प्राप्त कर लिया हो और उस आदेश की पूर्ति न हुई हो।

(ट) यदि वह अपने द्वारा लिए गए किसी ऋण या ऋणों के सम्बन्ध में कम से कम ६ माह से बकायादार न हो।

(ठ) वह तीन अन्य समितियों की प्रबन्ध कमेटी का पहले से ही सदस्य हो।

(ड) वह राजकीय सेवा या किसी समिति की सेवा अथवा निर्गमित निकाय से कपट, दुराचरण या अशुचिता करने के लिए पदच्युत किया गया हो और पदच्युत का ऐसा आदेश अपील में रद्द न किया गया हो।

(ढ) वह किसी ऐसी समिति के निबन्धन के प्रार्थना पत्र में सम्मिलित हो अथवा उसकी प्रबन्ध कमेटी का सदस्य रहा हो जो बाद में निबन्धक द्वारा अधिनियम की धारा ७२ की उपधारा (२) के खण्ड (क) के अधीन इस आधार पर समाप्त कर दी गई हो कि समिति का निबन्धन कपटपूर्वक कराया गया और निबन्धक का ऐसा आदेश अपील में तत्क्रमित न किया गया हो।

(ण) वह अधिनियम, नियम या उपविधियों के किसी उपबन्ध के अधीन अन्यथा अनर्ह हो।

(२) संचालक मण्डल का सदस्य यदि वह संचालक मण्डल की तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थिति रहता है तो वह अस्थाई रूप में संचालक मण्डल का सदस्य न रहेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित व्यक्ति इस उपविधि के

अन्तर्गत अर्जित अनर्हता की नोटिस पाने के पन्द्रह दिन के अन्दर निबन्धक या ऐसे अधिकारी को जिसका पद सहायक निबन्धक से कम न होगा और जो निबन्धक द्वारा इस कार्य के लिए अधिकृत किया गया हो, के पास प्रतिवेदन (रिप्रजेंटेशन) कर सकता है और जहाँ निबन्धक अथवा अधिकृत अधिकारी यथास्थिति इस बात से संतुष्ट हो जाये कि सम्बन्धित व्यक्ति की अनुपस्थिति के लिए पर्याप्त कारण थे तो वह आदेश द्वारा इस आशय की घोषणा कर सकते हैं। ऐसी घोषणा करने पर अस्थाई रूप से अर्जित अनर्हता समाप्त हो जायगी और यह समझा जायगा कि वह व्यक्ति संचालक मण्डल का सदस्य बना रहा।

स्पष्टीकरण :–निबन्धक अथवा निबन्धक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जहाँ तक सम्भव होगा ऐसे प्रतिवेदन (रिप्रजेंटेशन) पर तीस दिन में अपना निर्णय देंगे।

(३) उपरोक्त खण्ड २ के उपबन्ध, संचालक मण्डल के नाम निर्दिष्ट संचालक पर लागू नहीं होंगे।

(४) कोई व्यक्ति जो समिति के संचालक मण्डल की सदस्यता के लिए निर्वाचन लड़े किन्तु ऐसे निर्वाचन में हार जाय, आमेलन या नाम निर्देशन द्वारा ऐसा सदस्य होने के लिए पात्र न होगा।

(५) उक्त उपविधि के खण्ड (१) के अधीन निर्धारित अनर्हताएं निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू होंगी :–

अर्थात् :–(१) उक्त उपविधि के खण्ड (ज) में निर्धारित अनर्हताएं संचालक मण्डल के किसी नाम निर्दिष्ट सदस्य पर,

(२) उक्त उपविधि के खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) में निर्धारित अनर्हता, दोष सिद्धि के अधीन, अर्थ दण्ड देने या दोष सिद्धि होने पर दण्ड पा लेने के या पदच्युति के आदेश के यथास्थिति पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, समाप्त हो जायगी।

(६) ज्योंही संचालक मण्डल का कोई सदस्य नियमों अथवा उपविधियों

में उल्लिखित अनर्हताओं में से कोई अनर्हता अर्जित कर लेता है तो संचालक मण्डल उस तथ्य पर इसी उद्देश्य के लिए बुलाई गई बैठक में विचार करेगा। ऐसी बैठक की कार्य सूची की एक प्रति उस संचालक को जिसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रस्ताव हो, रजिस्ट्री डाक द्वारा (प्राप्त अभिस्वीकृति) भेजी जायगी। यदि सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसी अनर्हता/अनर्हताओं के कारण संचालक मण्डल की सदस्यता से हटाने का संकल्प पारित हो जाय तो ऐसे संकल्प की एक प्रति भी सम्बद्ध व्यक्ति को रजिस्ट्री डाक द्वारा (प्राप्त अभिस्वीकृति) भेजी जायगी। तदुपरान्त ऐसे व्यक्ति को संचालक मण्डल अथवा उसकी किसी उपसमिति की बैठक में भाग लेने की अनुज्ञा नहीं दी जायगी। ऐसे व्यक्ति का पद रिक्त घोषित किया जायगा।

यदि वह व्यक्ति ऐसी कार्यवाही से क्षुब्ध हो तो वह नोटिस प्राप्त होने के दिनांक से ३० दिन के भीतर अधिनियम और नियमों के अधीन मध्यस्थ निर्णय करा सकता है।

(७) उपरोक्त उपविधि के खण्ड २ में अर्जित अनर्हता की दशा में उपरोक्त उपविधि के खण्ड ६ में वर्णित संकल्प पारित किया जा सकता है तथा सम्बन्धित व्यक्ति को नोटिस दी जा सकती है, परन्तु उसे सदस्य की हैसियत से कार्य करने से वंचित नहीं किया जा सकता है यदि उसकी अनुपस्थिति उपरोक्त उपविधि के अन्तर्गत पर्याप्त कारण से हुई घोषित की गई है।

संचालक मण्डल का कार्यकाल

(१) सिवाय नियम ४०६, ४३३, ४३४ और ४३५ में दी गयी अन्यथा व्यवस्था के समिति के संचालक मण्डल का कार्यकाल तीन सहकारी वर्ष होगा, जिसके अन्तर्गत उसके निर्वाचन का सहकारी वर्ष भी है :

प्रतिबन्ध यह है कि निर्वाचित सदस्य तब तक पद ग्रहण किये रहेंगे जब तक उनके उत्तराधिकारी अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अधीन निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट न हो जाय।

स्पष्टीकरण :–किसी निर्वाचित सदस्य का कार्यका निश्चित करने के लिए इस बात को ध्यान में न रखते हुए कि इ वर्ष में निर्वाचन के बाद कितनी अवधि शेष रही, सहकारी व जिसमें निर्वाचन हुआ, पूरा एक वर्ष समझा जायगा ।

(२) कोई भी व्यक्ति संचालक मंडल में निर्वाचित किये जाने के लि पात्र न होगा यदि उसने पूर्ण या आंशिक रूप से दो लगाता कार्यकाल तक समिति में पद धारण किया हो ।

प्रतिबन्ध यह है कि नियम ४०४ या ४३४ या ४३५ य अधिनियम ३५ की उपधारा (३) के खण्ड (क) के अधीन संगठित संचालक मण्डल के सदस्य के रूप में धारित पदावधि व गणना, पात्रता के प्रयोजनार्थ इस उपविधि के अधीन अवधि व गणना करने के लिये नहीं की जायगी ।

स्पष्टीकरण :–(१) यदि नियम लागू होने के समय को व्यक्ति समिति के संचालक मण्डल का सदस्य है और वह निय लागू होने के पश्चात् वह पुनः संचालक चुन लिया जाता है अथव आमेलित किया जाता है तो यह समझा जायगा कि वह ऐ निर्वाचन और आमेलन के पूर्व एक कार्यकाल तक समिति में प धारण किये था ।

(२) प्रत्येक ऐसा सदस्य कम से कम लगातार तीन सम्पू सहकारी वर्ष तक संचालक मण्डल का सदस्य न रहने के पश्चा पुनः संचालक मण्डल का सदस्य चुने जाने के लिए पात्र ह जायगा ।

नाम निर्दिष्ट संचालक मण्डल का कार्यकाल

नाम निर्दिष्ट कोई संचालक अधिनियम और नियमों के अधी निर्दिष्ट प्राधिकारी के प्रशाद-पर्यन्त पदासीन न रहेगा ।

संचालकों में आकस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्ति

यदि संचालक मण्डल में निर्वाचित सदस्यों के पद में को

आकस्मिक स्थान रिक्त हो तो वह संचालक मण्डल के शेष सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से जो संचालक मण्डल की सदस्यता के लिए पात्र हों, आमेलन द्वारा पूरी की जायगी ।

संचालक मण्डल की बैठक

(क) संचालक मण्डल, समिति का कार्य करने के लिए बैठक कर सकता है, उसे स्थगित कर सकता है और जैसा वह उचित समझे बैठक का नियंत्रण कर सकता है । संचालक मण्डल की किसी बैठक में उठे प्रश्नों पर निर्णय बहुमत द्वारा होगा । समान मत होने पर सभापति को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

(ख) यदि किसी बैठक में कोई सदस्य बहुमत की राय से मतभेद रखता है, तो वह अपने मतभेद को कार्यवाही पुस्तिका में लिपिबद्ध करने के लिए आग्रह कर सकता है, जिसे सभापति को लिपिबद्ध करना होगा ।

संचालक मण्डल की बैठक की गणपूर्ति

संचालक मण्डल की बैठक की गणपूर्ति तीन/पांच संचालकों से होगी । संचालक मण्डल की बैठक के लिए सात दिन का नोटिस आवश्यक होगा, परन्तु विशेष परिस्थिति में इससे कम अवधि की नोटिस पर भी संचालक मण्डल की बैटक बुलाई जा सकती है ।

संचालक मण्डल के साधारण अधिकार

समिति के कारोबार का संचालन और प्रबन्ध, संचालक मण्डल द्वारा होगा जिसे अधिनियम और नियमों तथा इस उपविधियों के अन्तर्गत ऐसे सभी समझौते करने, ऐसी सभी व्ययस्था करने, ऐसी सभी कार्य-वाहियाँ करने तथा ऐसे सारे कार्य करने का अधिकार और उन अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार होगा जो समिति के कार्यों का उचित प्रबन्ध करने तथा जिन उद्देश्यों से समिति की स्थापना हुई है उनकी पूर्ति एवं समिति के हित तथा उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक एवं उचित होंगे ।

संचालक मण्डल के स्पष्ट अधिकार

इन उपविधियों द्वारा समर्पित आम अधिकारों की उपेक्षा किये बिना संचालक मण्डल को निम्नलिखित अधिकार और कर्तव्य स्पष्ट रूप से सौंपे जाते हैं :

(क) नियमों के अधीन सदस्यों को ऋण या अग्रिम देना। ऋण और अग्रिम उनकी अदायगी के लिए प्रतिभूति या बिना प्रतिभूति पर दिये जा सकते हैं। चल या अचल सम्पति अथवा अधिकार-पत्र (दस्तावेज) प्रतिभूति के रूप में स्वीकार किये जा सकते हैं।

(ख) समिति के हेतु निबन्धक के विशेष तथा साधारण आदेशों के अनुसार अमानतें तथा ऋण प्राप्त करना।

(ग) वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में समिति का वार्षिक प्रतिवेदन, संतुलन पत्र, अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋण के लिये प्राविधान तथा लाभ वितरण के सम्बन्ध में सिफारिश प्रस्तुत करना।

(घ) नियम १७६ के उपबन्धों का पालन करते हुये समिति हेतु कोई भूमि या भवन (चाहे फ्री होल्ड हो या लीज होल्ड अथवा अन्य प्रकार की हो) क्रय करना, लीज पर लेना या अन्य प्रकार से प्राप्त करना और उसे सदस्यो को न्यायोचित ढंग से देना या सामूहिक रूप से इस्तेमाल करना।

(ङ) अधिनियम की धारा ३१ तथा नियम १२६ और अधिनियम की धारा १२१ और १२२ के अधीन बने विनिमय के अधीन, सचिव की नियुक्ति करना, उन्हें हटाना, निलम्बित करना या अन्य प्रकार से दण्डित करना और उनका पारिश्रमिक निश्चित करना।

(च) समिति के कारोबार के प्रबन्ध में सचिव की सहायता के लिये अधिनियम और नियमों के अधीन अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों और लिपिकों की नियुक्ति करना, उन्हें हटाना, निलम्बित करना या अन्य प्रकार से दंडित करना और उनका पारिश्रमिक निश्चित करना।

(छ) समिति की नकद धनराशियों और महत्वपूर्ण लेखों की अभिरक्षा, अनुरक्षण और उन्हें रखने का उचित प्रबन्ध करना।

(ज) समिति द्वारा स्वीकृत या अभ्यर्थित अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त किसी पट्टे की शर्तों या समझौतों का पालन करना और सारे लगान का समिति की ओर से भुगतान करना।

(झ) यदि आवश्यक हो तो समिति के सभी या किसी भवन, माल अथवा अन्य सम्पति या अन्य प्रतिभूति (सिक्योरिटी) का या तो अलग से या मिला कर उस अवधि और सीमा तक के लिए बीमा कराना या उसे चालू रखना जिसे संचालक मण्डल उचित समझे और अधिकार के अनुसार किये गये किसी बीमे या बीमा-पत्र (पालिसी) को बेचना, अभ्यर्थित करना, समर्पित करना अथवा उसे चालू न रखना।

(ञ) किसी ऋण या स्वत्व का पारस्परिक निपटारा करना या उसे मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजना अथवा किसी ऋणी को अपना ऋण चुकाने का समय देना।

(ट) ऐसी सारी कार्यवाहियाँ और वाद, जिन्हें संचालक मण्डल चलाना या प्रतिवाद करना आवश्यक या उचित समझे प्रारम्भ करना, चलाना, चालू रखना या प्रतिवाद करना या परस्पर समझौता करना या मध्यस्थ निर्णय के लिए भेजना।

(ठ) समिति की ओर से बैंक में तथा किसी अन्य सहकारी संस्था में अंश खरीदना और प्रतिनिधि भेजना।

(ड) कृषि सम्बन्धी वस्तुयें, घरेलू आवश्यकताओं का सामान तथा ऐसी उपभोक्ता वस्तुओं को रखना जिनके लिए साधारणतया मांग हो और उन्हें इतनी संख्या अथवा मात्रा में रखना कि वह जल्दी से बिक सकें।

(ण) प्रक्षेत्र (फार्म) पर किये जाने वाले भिन्न-भिन्न कामों के लिये नियुक्त की गयी सब कमेटियों की रिपोर्ट की जाँच करना और उन्हें स्वीकृति के लिये सामान्य निकाय के सामने पेश करना,

(त) स्थानीय हालतों के अनुसार भिन्न-भिन्न किस्म के कामों का पारिश्रमिक (ठेके या रोजनदारी) से निश्चित करना। शर्त यह है कि उस पर सामान्य निकाय की स्वीकृति ली जायगी।

(थ) फार्म सुपरिंटेन्डेन्ट या मैनेजर तथा दूसरे कर्मचारियों के काम की निगरानी करना।

(द) रोजमर्रा का काम चलाने के लिये विशेष कायदे (रूल्स) बनाना परन्तु शर्त यह है कि उन पर सामान्य निकाय की स्वीकृति ली जायगी।

(ध) श्रम का उचित संगठन करने और भिन्न-भिन्न किस्म के कामों का एक स्तर (स्टैंडर्ड) कायम करने में सुविधा प्रदान करना।

(प) सामान्य निकाय द्वारा निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर प्रक्षेत्र (फार्म) की भूमि की कीमत, उसकी किस्म, उर्वरा शक्ति, लगान और मालगुजारी और उसमें किये गये सुधारों को दृष्टि में रखते हुए तय करना।

(फ) अन्य पूंजीगत सामान जैसे – बैल, अन्य पशु, बीज, चारा, हल औजार और मशीनों आदि की कीमत, उनकी बाजारू कीमत और प्रक्षेत्र (फार्म) के लिये उनकी उपयोगिता को दृष्टि में रखते हुए निर्धारित करना।

(ब) प्रक्षेत्र (फार्म) के लिये कानूनी सलाहकार नियुक्त करना।

(भ) सरकार द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता जैसे तकावी, अनुदान आदि को नियमानुसार वितरण व उनकी वसूली की व्यवस्था करना।

(म) नियम ९३ के अधीन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का संक्षिप्त विवरण तैयार करना।

(य) (१) नियम ६४ के अधीन लिखित रूप से अनुरोध करने पर किसी एक या अधिक लेख्यों को, ऐसे शुल्क पर देना जिसकी स्वीकृति निबन्धक से प्राप्त कर ली है।

(२) नियम ३७६ के अधीन समिति के लेखों तथा अभिलेखों के निरीक्षण करने के लिए शुल्क निर्धारित करना।

(र) उन प्रतिबन्धों और शर्तों के अन्तर्गत जिन्हें संचालक मण्डल समय-समय पर लागू करना उचित समझे, तत्कालीन सचिव और समिति के अन्य अधिकारियों को ऐसे सब या कुछ अधिकार और कर्तव्य जो संचालक मण्डल को सौंपे गये हैं, कार्यान्वित करने के लिए अधिकृत करना।

संचालक मण्डल के कार्य की वैधता

संचालक मण्डल के कार्य, संचालक मण्डल में रिक्त स्थान या किसी संचालक की योग्यता की त्रुटि पर विचार किए बिना वैध समझे जाएंगे, मानो कोई स्थान रिक्त न था और संचालक की योग्यता में कोई त्रुटि न थी।

बैठकों का स्थान

समिति की सामान्य निकाय तथा संचालक मण्डल की बैठक समिति के मुख्यालय पर होगी।

(ग) सभापति/उपसभापति

(१) सभापति समिति के मामलों तथा कार्य के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा पथ प्रदर्शन के लिये उत्तरदायी होगा और ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो अधिनियम, नियमों, उप-विधियों तथा संचालक मण्डल के संकल्पों द्वारा प्रदत्त या आरोपित किये जायें, उपस्थित रहने पर वह नियमों में अन्यथा की गई

व्यवस्था के अधीन रहते हुए, सामान्य निकाय तथा संचालक मण्डल की बैठकों का सभापतित्व करेगा और आवश्यक परिस्थतयों (संकट काल) में संचालक मण्डल के सारे अधिकारों का प्रयोग करेगा। इस बात का निर्णय सभापति स्वयं और जैसा नियमों में अन्यथा उल्लिखित हो, निर्णय करेगा कि क्या ऐसी आवश्यक परिस्थिति (संकट काल) आगयी है। वह इस बात का ध्यान रक्खेगा कि समिति का कारोबार दृढ़रूप से और उपविधियों के अनुकूल चल रहा है।

(२) उप-सभापति, नियमों में अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुये सभापति द्वारा प्रदत्त लिखित ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा। सभापति की अनुपस्थिति में वह सामान्य निकाय तथा संचालक मण्डल की बैठकों का सभापतित्व करेगा।

(ब) सचिव

सचिव समिति का कार्यपालक अधिकारी होगा और सभापति व संचालक मण्डल के ऐसे नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुये जिनकी व्यवस्था नियमों या उपविधियों में की गई है वह :—

(क) समिति के कार्य के सम्यक् प्रबन्ध तथा उसके कुशल प्रशासन के प्रति उत्तरदायी होगा।

(ख) समिति के प्राधिकृत और सामान्य कार्य करेगा।

(ग) संचालक मण्डल द्वारा लगाये गये उपबन्धों के अधीन समिति के लेखों (एकाउन्ट्स) का परिचालन (आपरेट) करेगा।

(घ) समिति की ओर से और उसके लिए सभी लेखों पर हस्ताक्षर करेगा और उन्हें प्रमाणित करेगा।

(ङ) समिति की विभिन्न बहियों (रजिस्टरों) और अभिलेखों को उचित रूप से रखने और अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों और निबन्धक या राज्य सरकार के अनुदेशों के अनुसार नियतकालिक विवरण पत्रों और विवरणियों को शुद्ध रूप से तैयार करने और ठीक समय से उन्हें प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(च) सामान्य निकाय तथा संचालक मण्डल की बैठकें बुलाएगा और ऐसी बैठकों के ठीक अभिलेख रक्खेगा।

(छ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन और ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो नियमों या उपविधियों के अधीन उस पर आरोपित या उसे प्रदत्त किये जायें।

फार्म सुपरिंटेन्डेन्ट या मैनेजर

संचालक मण्डल आम सभा की स्वीकृति और निबन्धक के परामर्श से वेतन या पुरस्कार पर खेती के काम में ट्रेंड अथवा कृषि में पर्याप्त अनुभवी व्यक्ति को फार्म के सारे कामों में सलाह देने, इनकी निगरानी करने और इनमें सामंजस्य कायम करने के लिए फार्म सुपरिंटेन्डेन्ट या मैनेजर नियुक्त कर सकता है। वह फार्म के काम के सुचारू संगठन और संचालन के लिये जिम्मेदार होगा और वह संचालक मण्डल तथा सब-कमेटी के आम नियंत्रण में निम्नलिखित काम करेगा :—

(१) हर फसल के लिए अग्रिम बजट और उसकी योजना तैयार करना और उन्हें मंजूरी के लिये प्रबन्ध कमेटी में पेश करना,

(२) बीज, चारे, खाद आदि के लिए यथासमय व्यवस्था करना,

(३) पहले से काम का कार्यक्रम तैयार करना और सदस्यों को उनका काम बनाना,

(४) जब कभी आवश्यकता पड़े तो बाहरी मजदूर रखना और संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृत मजदूरी का प्रबन्ध करना,

(५) बोने, खाद देने और सिंचाई का उचित समय पर प्रबन्ध करना,

(६) आवारा जानवरों, जंगली जानवरों और चोरों आदि से फसलों की रक्षा की व्यवस्था करना,

(७) प्रक्षेत्र (फार्म) के उत्पादन को समय पर काटने, माड़ने, बिक्री करने और गोदाम में रखने का प्रबन्ध करना,

(८) फार्म के सारे कामों का ठीक और तातारीख हिसाब रखना,

(९) फार्म के कारोबार के सच्चे हिसाब-किताब तैयार करना और उन्हें संचालक मण्डल में पेश करना,

(१०) प्रक्षेत्र (फार्म) की रकम और सम्पत्ति की अभिरक्षा का प्रबन्ध करना,

(११) ऐसे अन्य काम करना जो उसे संचालक मण्डल बताये।

बैठक की कार्यवाहियों की कार्यवृत्तियाँ

सभी बैठकों की कार्यवाहियों की कार्यवृत्तियाँ उस प्रयोजन के लिये रखी गई पुस्तिका में अभिलिखित की जायँगी और कार्यवृत्तियों पर बैठक का सभापतित्व करने वाले और समिति के सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

१२—भत्ते तथा अन्य सुविधायें

समिति के सभापति/उपसभापति तथा संचालक मण्डल के सदस्यों को नियमों ३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ३८८ व ३८९ के उपबन्धों के अधीन सामान्य निकाय द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार यातायात भत्तों का भुगतान किया जायगा। इसके अतिरिक्त अन्य सुविधायें भी सामान्य निकाय द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार ही उपलब्ध होंगी।

१३—ऋण तथा अग्रिम

संचालक मण्डल समिति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही ऋण और अमानत लेगी और इन पर सूद देने की दर निश्चित करेगी। संचालक मण्डल समिति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही ऋण और अमानत लेगी।

१४—लाभ वितरण

(१) वर्ष के कुल लाभ से निम्नलिखित मदें घटाने के पश्चात् वर्ष का शुद्ध लाभ निकाला जायगा :—

१–दिया गया व्याज,

२–किया गया प्रबन्ध खर्च,

३–अशोध्य ऋणों के लिये प्राविधान,

४–माल और भवन पर अवमूल्यन,

५–क्षति की अन्य मदें।

(२)(क) शुद्ध लाभ का कम से कम १/२० प्रतिशत रक्षित निधि में डाला जायगा।

(ख) शुद्ध लाभ में से कम से कम १ प्रतिशत सहकारी शिक्षा निधि में :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी विशेष सहकारी वर्ष में अंशदान की जाने वाली धनराशि २,५०० रुपये से अधिक हो जाय तो वह समिति पर निर्भर होगा कि वह २,५०० रु० से अधिक धनराशि का अंशदान करे अथवा न करे।

(३) शेष लाभ, नियमों के अधीन निम्नलिखित सभी या किसी प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाया जा सकता है :—

(१) सदस्यों को उनकी दत्त अंश पूंजी पर नौ प्रतिशत तक लाभांश का भुगतान,

(२) नियम १६२ के खण्ड २ के अधीन सदस्यों को उनके द्वारा समिति को अंश दत्त भूमि तथा श्रम के सम्बन्ध में बोनस।

(३) अशोध्य ऋण निधि, राष्ट्रीय रक्षा निधि, भवन निधि, ग्राम सुधार निधि, विनियोजन अवमूल्यन निधि, अंश संक्रमण

निधि और लाभांश समकारी निधि के संगठन और अंशदान के लिए ।

(४) चेरिटे-बिल एनडाउमेन्ट ऐक्ट १८९० की धारा २-क में तथा परिभाषित किसी पूर्त प्रयोजन (चेरिटे-बिल परपज) के लिये ५ प्रतिशत तक धनराशि का दान,

(५) आगामी सहकारी वर्ष के लाभ में आगे ले जाने के लिए ।

(६) जो लाभांश चुकता न किया जायगा उस पर समिति कोई ब्याज न देगी ।

(७) जिस सदस्य पर अंश की कोई किश्तें बाकी होंगी वह अपने अंश के चुकता धन पर लाभांश का अधिकारी न होगा ।

१५—लेखा पुस्तिका तथा रजिस्टर

(क) संचालक मण्डल समिति के कारोबार का सच्चा हिसाब-किताब इस ढंग से रखने का प्रबन्ध करेगा जिसे वह समिति के वास्तविक आर्थिक लेखा विवरण प्रदर्शित करने के लिए समय-समय पर उचित समझे । नियम ३६४ की उपधारा (१) के अधीन हिसाब-किताब ऐसे रजिस्टरों में और ऐसे ढंग से रखा जायगा, जिसे संचालक मण्डल आदेश दे ।

(ख) नियम ३६४ की उपधारा (२) के प्रयोजन के अतिरिक्त समिति किसी अभिलेख या लेखा पुस्तकों की छटनी नहीं करेगी ।

१६—लेखा-परीक्षा

समिति के लेखों की लेखा-परीक्षा प्रत्येक सहकारी वर्ष में कम से कम एक बार, अधिनियम की धारा ६४ व नियमों के अनुसार निबन्धक अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, द्वारा की जायगी ।

१७—रक्षित निधि

समिति की रक्षित निधि को निबन्धक की स्वीकृति से नियम

१७१ में उल्लिखित किसी एक या अधिक प्रकार से विनियोजित किया जायगा ।

(२) नियम १७० के अधीन, रक्षित निधि अवितरणीय है और किसी सदस्य को उसके किसी विशेष हिस्से पर कोई दावा न होगा ।

१८—विवादों का निबटारा

तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, समिति के संगठन, प्रबन्ध अथवा कार्य के सम्बन्ध में, समिति के वेतनभोगी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई अनुशासिक कार्यवाही से सम्बद्ध विवाद से भिन्न, कोई विवाद :

(क) सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों और मृत सदस्यों के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच, अथवा

(ख) किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति, और समिति, उसके संचालक मंडल, समिति के अधिकारी, अभिकर्ता या कर्मचारी जिनके अन्तर्गत भूतपूर्व अधिकारी, अभिकर्ता या कर्मचारी भी हैं, के बीच, अथवा

(ग) समिति, उसके संचालक मण्डल और समिति के किसी भूतपूर्व संचालक मण्डल या किसी अधिकारी, अभिकर्ता या कर्मचारी या किसी भूतपूर्व अधिकारी, भूतपूर्व कर्मचारी अथवा समिति के किसी मृत अधिकारी, मृत अभिकर्ता या मृत कर्मचारी द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, या उसके दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि के बीच, अथवा

(घ) समिति और किसी अन्य सहकारी समिति या समितियों के बीच उतपन्न हो,

तो वह इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही के लिए निबन्धक को अभिदिष्ट किया

जायगा और किसी ऐसे विवाद के सम्बन्ध में किसी न्यायालय को कोई बात अथवा अन्य कार्यवाही ग्रहण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त न होगा।

१६—उपविधियों में संशोधन

उक्त प्रयोजन के लिए बुलाई गई किसी सामान्य बैठक में उपस्थिति कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के मत से पारित संकल्प द्वारा किसी : वध संशोधन किया जा सकता है, अर्थात् उसमें परिवर्तन या विखण्डन किया जा सकता है अथवा नई उपविधि बढ़ाई जा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक द्वारा पहले से अनुमोदित प्रतिमान उपविधियों या संशोधन अथवा ऐसे संशोधन, जिन्हें करने के लिए निबन्धक अधिनियम की धारा १४ के उपधारा (१) के अधीन अपेक्षा करे, केवल साधारण बहुमत द्वारा अंगीकृत किये जा सकते हैं।

(२) उपविधियों के संशोधन पर विचार करने के निमित्त सामान्य बैठक बुलाने के लिए सदस्यों को तीस दिन की नोटिस दी जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि बैठक अधिनियम की धारा १४ की उपधारा (१) के अधीन निबन्धक से प्राप्त किसी आदेश के अनुसरण में बुलाई जाय तो पन्द्रह दिन की नोटिस पर्याप्त होगी।

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि कोई बैठक निबन्धक की अनुज्ञा से १/५ या १/७ के कम गणपूर्ति से बुलाई जाय तो ऐसी बैठक के लिए ७ दिन की नोटिस पर्याप्त होगी।

(३) ऐसी बैठक के लिये जिसमें किसी उपविधि के संशोधन पर विचार किया जाय, समिति के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई की गणपूर्ति अपेक्षित होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी बैठक में उपरोक्त अपेक्षित गणपूर्ति न हो सके तो निबन्धक समिति को यह निर्देश दे सकता

है कि वह दूसरी बैठक बुलाये, जिसमें अपेक्षित गणपूर्ति कम करके १/५ कर दी जायगी और सदस्यों को इस तथ्य की लिखित सूचना दे : प्रतिबन्ध यह भी है कि निबन्धक द्वारा पहले अनुमोदित प्रतिमान उपविधियों या संशोधनों के अंगीकार किये जाने की दशा में अथवा निबन्धक द्वारा अधिनियम की धारा १४ की उपधारा (१) के अधीन यह निर्देश दिये जाने पर कि उसे समिति द्वारा अंगीकार किया जाय तो अपेक्षित गणपूर्ति को उस दशा में जब बैठक १/५ से कम की गई गणपूर्ति के अभाव में न हो, १/७ तक और कम करने की निबन्धक द्वारा अनुज्ञा दी जा सकती है। यह तथ्य कि बैठक १/७ की और कम की गई गणपूर्ति से होगी, ऐसी बैठक की कार्य-सूची को नोटिस में उल्लिखित किया जायगा।

२०—पुर्नावित उपविधियों के निबन्धन के पश्चात् सामान्य निकाय की बैठक

(१) इन उपविधियों के निबन्धन के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जिसके लिए निबन्धक द्वारा लिखित रूप से अनुज्ञा दी जाय, अधिनियम की धारा १३१ की उपधारा (७) के अधीन संचालक मण्डल संगठित करने के लिए समिति सामान्य निकाय की एक बैठक करेगी, जिसके लिए कम से कम पैंतालिस दिन का नोटिस देगी, जिसमें बैठक का दिनांक, समय, स्थान और कार्य-सूची (एजेन्डा) उल्लिखित होगी।

(ख) उपरोक्त उल्लिखित सामान्य निकाय की बैठक उन सहकारी वर्ष/वर्षों के लिये, वार्षिक सामान्य बैठक समझी जायगी, जिनकी वार्षिक सामान्य बैठक नहीं हुई है। उक्त बैठक में निम्न कार्य सम्पादित किये जायेंगे :—

(१) बैठक का सभापतित्व करने के लिए व्यक्ति का निर्वाचन (निर्वाचन हाथ उठाकर होगा)

(२) पिछले सहकारी वर्ष/वर्षों के रोकड़ पत्र (बैलेन्स शीट) और

वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार जिनका लेखा परीक्षण समाप्त हो गया है।

(३) नियम ९२ के अधीन, पिछले सहकारी वर्ष/वर्षों का लेखा प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पर विचार।

(४) आगामी वर्ष के लिए समिति की अधिकतम दायित्व की सीमा निर्धारण।

(५) गत सहकारी वर्ष/वर्षों के शुद्ध लाभ का वितरण।

(६) आगामी सहकारी वर्ष के बजट पर विचार।

(७) ऐसे किसी अन्य विषय पर विचार जो उपविधियों के अनुसार जो उसके समक्ष रखा जाय।

(८) नियमों और उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन।

२१—निर्वाचन नियम

(१) संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन कार्य सूची के अंतिम मद के रूप में समिति की वार्षिक सामान्य बैठक में या अधिनियम की धारा २९ की उपधारा (६) में उल्लिखित सामान्य बैठक, जैसी भी दशा हो, होगा।

(२) संचालक मण्डल के सदस्यों के निर्वाचन के लिए समिति निबन्धक की पूर्व स्वीकृति से :-

(क) क्षेत्रीय या किसी अन्य युक्ति युक्त आधार पर विभिन्न वर्गों में अपनी सदस्यता विभाजित कर सकती है।

(ख) संचालक मण्डल के सदस्यों की संख्या अथवा उनका अनुपात भी ऐसी रीति से निर्दिष्ट कर सकती है कि संचालक मण्डल में जहाँ तक हो सके, यथास्थिति समिति के विभिन्न क्षेत्रों या हितों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व हो सके।

(३) कोई भी व्यक्ति वार्षिक सामान्य बैठक की नोटिस जारी हो जाने के पश्चात् और उस वर्ष निर्वाचन होने तक समिति का सदस्य नहीं बनाया जायगा।

(४) वार्षिक सामान्य बैठक का सभापतित्व सभापति या उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति करेंगे। सभापति तथा उपसभापति दोनों की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य सामान्य निकाय के किसी अन्य सदस्य को बैठक का सभापतित्व करने के लिए चुन सकते हैं। परन्तु कोई व्यक्ति ऐसी सभा का सभापतित्व नहीं करेगा यदि वह स्वयं किसी पद के लिए उम्मीदवार है।

(५) गणपूर्ति न होने या उपविधियों में व्यवस्थित किसी अन्य कारण से स्थगित वार्षिक सामान्य बैठक, मूल बैठक की नोटिस की कार्य-सूची में दिये गये समय तथा स्थान पर १६वें दिन (जिसकी गणना स्थगन के दिनांक को सम्मिलित करके की जायगी) को होगी और कार्य-सूची के केवल उन्हीं मदों को लिया जायगा जो मूल बैठक में रह गये हों।

(६) यथास्थित उपविधि २४ की उपधारा ७ या १२ के अधीन तैयार की गई मतदाता सूची और वैध नाम-निर्देशन-पत्रों की अंतिम सूची स्थगित बैठक में निर्वाचन के लिये भी लागू होगी।

(७) समिति का सचिव समिति की नामावलि के ऐसे सदस्यों की एक सूची तैयार करेगा जो नियमों और समिति की उपविधियों के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक में मतदान के लिये अर्ह हों। ऐसी सूची वार्षिक सामान्य बैठक की नोटिस जारी करने के दिनांक को अथवा उसके पूर्व तक अद्यावधिक की जायगी। सूची में अलग से (अंत में) उन सदस्यों के नाम होंगे जो मतदान करने के लिये अर्ह न हों और उसके साथ ऐसी अनर्हता के कारण भी होंगे तथा ऐसी विधि के (उपविधि सहित) संगत उपबन्धों का उल्लेख भी होगा जिनके अंतर्गत ऐसी अनर्हता हो गई हो। सूची पर सचिव तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत संचालक द्वारा हस्ताक्षर

किये जायेंगे।

(८) सूची में अनर्ह दिखाया गया सदस्य वार्षिक सामान्य बैठक के लिये निश्चित दिनांक के कम से कम तीन दिन पूर्व अपनी अनर्हता दूर कराने की कार्यवाही कर सकता है और यदि निर्वाचन के दिनांक के कम से कम तीन दिन पूर्व अनर्हता दूर कर दी जाय तो सम्बद्ध सदस्य को मतदान करने का अधिकार होगा।

(९) सदस्यों की सूची किसी भी सदस्य द्वारा निःशुल्क निरीक्षण करने के लिये समिति के कार्यालय में कार्य-समय में उपलब्ध रहेगी। सूची की प्रति सदस्यों को बेचे जाने के लिये भी उपलब्ध रहेगी, यदि समिति के संचालक मण्डल ने ऐसा संकल्प किया हो।

(१०) समिति की वार्षिक सामान्य बैठक का दिनांक, समय और स्थान संचालक मण्डल द्वारा निश्चित किया जायेगा। बैठक का स्थान या तो समिति का कार्यालय अथवा समिति के मुख्यालय के निकट कोई सार्वजनिक स्थान हो सकता है। समिति की वार्षिक सामान्य बैठक ३० नवम्बर के पूर्व किसी दिनांक को, या बढ़ाये गये दिनांक, यदि कोई हो, के भीतर जिसकी अनुमति निबन्धक या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी जाय, होगी। सामान्य बैठक की नोटिस उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार दी जायगी। कोई भी व्यक्ति निर्वाचन होने वाली बैठक का सभापतित्व नहीं करेगा, यदि ऐसा व्यक्ति स्वयं चुने जाने वाले किसी पद का उम्मीदवार हो।

(११) वार्षिक सामान्य बैठक में निर्वाचित किये जाएंगे :—

(१) संचालक मण्डल के लिये उतने सदस्य, जिनके लिये उपविधियों में व्यवस्था की गयी हो,

(२) पूर्ववर्ती उपखण्ड (१) में निर्वाचित संचालक मण्डल के सदस्यों में से सभापति तथा उपसभापति,

(१२) (क) उपरोक्त निर्वाचन के लिये उम्मेदवारों के नाम निर्देशन

का प्रस्ताव तथा उसका अनुमोदन बैठक में ही किया जायगा। नामों की वापसी के, यदि कोई हो, पश्चात् निर्वाचन हाथ उठाकर होगा।

(ख) उपरोक्त (क) में किसी बात के होते हुए भी, यदि निबन्धक की, समिति के सामान्य निकाय या समिति की संचालक मण्डल के अनुरोध पर अथवा अन्यथा, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, यह राय हो कि निर्वाचन गुप्त मतपत्र द्वारा हो तो वह जिला मजिस्ट्रेट ....से यह अपेक्षा करेगा कि वह निर्वाचन के निमित्त प्रेषक के रूप में कार्य करने के लिये किसी व्यक्ति को नियुक्ति करे और समिति को यह निर्देश देगा कि वह संचालक मण्डल के सदस्यों का और तत्पश्चात् सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन गुप्त मतपत्र द्वारा करे।

(ग) जब निबन्धक उपरोक्त (ख) के अधीन निदेश दे तब बैठक में आवश्यक शलाका-पत्र तैयार किये जायेंगे जिन पर निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम होंगे और बैठक का सभापति प्रेषक की उपस्थिति में गुप्त मतपत्र द्वारा मतदान करायेगा।

(१३) (१) मतदाता उस उम्मीदवार के नाम के सामने जिसे वह मत देना चाहे क्रास चिन्ह (X) लगायेगा और तब शलाका पत्र गुप्त रूप से शलाका पेटी में रखेगा। समिति अपनी निधियों से अपेक्षित संख्या में तथा प्रकार की शलाका पेटियों की व्यवस्था करेगी।

(२) उपरोक्त खण्ड (१) में प्राविधान को ध्यान न देते हुए, यदि कोई अनपढ़ मतदाता अपना मत अपनी इच्छा के उम्मीदवार को मत देने में सभापति की सहायता चाहता है तो सभापति ऐसे मतदाता को इस प्रकार मत देने में

सहयोग देगा कि मतदाता ने किसको मत दिया इसकी जानकारी दूसरों को न हो सके ।

(१४) (१) कोई शलाका पत्र अस्वीकार कर दिया जायगा, यदि–

(क) उस पर मतदाता की पहचान के लिये कोई हस्ताक्षर हो,

(ख) उस पर समिति की मुहर या सभापति तथा पूर्ववर्ती उपखण्ड में अभिदिष्ट प्रेषक का हस्ताक्षर न हो,

(ग) उस पर मतदान इंगित करने का कोई चिन्ह न हो,

(घ) उस पर भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक चिन्ह हों,

(२) यदि किसी शलाका-पत्र पर अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के लिए चिन्ह इस प्रकार हो जिससे यह स्पष्ट न हो कि किस अभ्यर्थी या किन अभ्यर्थियों को मत दिया गया है तो वह ऐसे अभ्यर्थी या अभ्यार्थियों के सम्बन्ध में अस्वीकार कर दिया जायगा ।

(१५) बराबर-बराबर मत की दशा में मामले का निर्णय पर्ची डालकर किया जायगा ।

(१६) (१) प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या और निर्वाचन फल सभापति द्वारा गणना समाप्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र घोषित किया जायगा । गणना के समय निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार उपस्थित रह सकते हैं ।

(२) निर्वाचन फल समिति की कार्यवृत्ति पंजी में भी अभिलिखित किया जायगा और उसे सभापति प्रमाणित करेंगे ।

(३) समिति का सचिव समिति के सूचना पट्ट पर उसी दिन एक सूची लटकायेगा जिसमें निर्वाचित घोषित उम्मीदवारों

के नाम होंगे । सूची पर सभापति तथा पूर्ववर्ती उक्त खण्ड में अभिदिष्ट प्रेषक के हस्ताक्षर होंगे ।

(१७) निर्वाचन सम्बन्धी प्रयुक्त शलाका पत्र तथा अन्य अभिलेख (कार्यवाहियों की पुस्तिकाओं को छोड़कर) किसी लिफाफे या पात्र में रखे जायेंगे और सभापति उन्हें मुहरबन्द करेगा । यदि कोई उम्मीदवार चाहे तो वह भी उस पर अपनी मुहर लगा सकता है । सभापति तथा पूर्ववर्ती उक्त खण्ड में अभिदिष्ट प्रेषक इस प्रकार मुहरबन्द लिफाफा या पात्र समिति के सचिव को सौंप देगा जो उसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति करेगा और छः माह या उस बढ़ी हुई अवधि तक जो निबन्धक द्वारा अपेक्षित हो, के लिए उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के निमित्त उत्तरदायी होगा ।

२२–अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा सभापति या उपसभापति का हटाया जाना

नियमों के उपबन्धों के अनुसार ही सभापति या उपसभापति को अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है ।

२३–उपनियमों का अर्थ

यदि उपविधियों की किसी धारा के अर्थ के सम्बन्ध में कोई मतभेद हो तो संचालक मण्डल ऐसे मामले को निबन्धक के पास भेजेगा और इस विषय में उसका निर्णय अंतिम होगा ।